OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX

N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD - 431 003

F.No. HQ/Comp/04-72/ICES/2009 Pt-IV Aurangabad, 24th Jan. 2012

PUBLIC NOTICE NO. 01 / 2012

Sub- Commencement of e-payment of Customs Duty in 17 Authorized banks under Indian Customs EDI System – reg

Attention of all Exporters/CHA/Custodians/ Steamer Agents and all concerned is invited towards the trade facilitation measure of e-payment through ICEGATE at ICD Maliwada and ICD Waluj. The e-payment facility is now being provided through 17 Authorized Banks for all Customs Locations w.e.f. 16/01/2012.

Users can now avail facility of e-payment through ICEGATE for all Customs Locations from any of the following authorized Banks-

- 1- State Bank of India
- 2- State Bank of Hyderabad
- 3- State Bank of Bikaner & Jaipur
- 4- State Bank of Travancore
- 5- Punjab National Bank
- 6- Bank of India
- 7- Indian Bank
- 8- UCO Bank

- 9- United Bank of India
- 10- Union Bank of India
- 11- Bank of Maharashtra
- 12- Corporation Bank
- 13- IDBI Bank
- 14- Bank of Baroda
- 15- Canara Bank
- 16-Indian Overseas Bank
- 17- Central Bank of India

Very soon mandatory e-payment of Duty Challans of One Lakh and above shall be introduced and therefore, users should be ready to make use of e-payment facility.

In case of any difficulty faced in the e-payment facility through ICEGATE, following officers may be contacted-

- 1- Assistant Commissioner (Customs), Central Excise, Customs & Service Tax,
 Aurangabad. Phone No. 0240-2484975
- 2- Superintendent (Comp Section, HQ), Central Excise, Customs & Service Tax, Aurangabad. Phone No. 0240-2486883
- 3- Superintendent (ICD Maliwada), Phone No. 0240-2616188
- 4- Superintendent (ICD Waluj), Phone No. 0240-2564240

Sd/-24.01.12
(S. Ramesh)
Commissioner,
Central Excise, Customs & Service Tax,
Aurangabad

Copy to – Additional Commissioner, Customs, Central Excise, Customs & Service Tax

-Assistant Commissioner, ICD, Central Excise, Customs & Service Tax

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्त का कार्यालय, एन-5, टाउन सेंटर, सिङ्को, औरंगाबाद- - 431003

फा. स. मुख्या/संगणक/04-72/ICES/2009 भाग-4 औरंगाबाद- 24 जनवरी 2012

पब्लिक नोटिस- - 01/2012

विषय-<u>ICEGATE पर 17 आधिकारिक बैंकों द्वारा सीमा शुल्क का ई-भुगतान प्रारम्भ होने के</u> सम्बन्ध में.

एतद्द्वारा सभी निर्यातकों/ कस्टम हाउस एजेंटों/ स्टीमर एजेंटों तथा सभी सम्बद्ध पक्षों को यह सूचित किया जाता है कि आय सी डी मालीवाडा तथा आय सी डी वालुज में सीमा शुल्क के ई- भुगतान की सुविधा ICEGATE के माध्यम से 17 आधिकारिक बैंकों द्वारा दि. 16/01/2012 से प्रारम्भ किया जा चुका है.

17 आधिकारिक बैंकों का विवरण निम्नलिखित है-

- 1- भारतीय स्टेट बैंक
- 2- स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
- 3- स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर
- 4- स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
- 5- पंजाब नेशनल बैंक
- 6- बैंक आफ इंडिया
- 7- इंडियन बैंक
- 8- यूको बैंक
- 9- य्नाईटेड बैंक आफ इंडिया
- 10- यूनियन बैंक आफ इंडिया
- 11- बैंक आफ महाराष्ट्रा
- 12- कार्पोरेशन बैंक
- 13- आयडीबीआय बैंक
- 14- बैंक आफ बरोडा
- 15- केनरा बैंक

- 16- इंडियन ओवरसीज बैंक
- 17- सेंट्रल बैंक आफ इंडिया

सभी सम्बद्ध पक्षों को यह सूचित किया जाता है कि एक लाख या इससे अधिक के कर चालान के अनिवार्य ई-भुगतान की व्यवस्था शीघ्र ही प्रारम्भ की जा रही है, जिसके लिए सभी सम्बद्ध लोगों को आवश्यक तैयारी करनी अपेक्षित है.

इस विषय में किसी असुविधा की स्थित में निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है-

- 1- सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, फोन- 0240-2484975
- 2- अधीक्षक, संगणक अनु. मुख्या, फोन-0240-2486883
- 3- अधीक्षक, आय सी डी मालीवाडा, फोन-0240-2616188
- 4- अधीक्षक, आय सी डी वालुज, फोन-0240-2564240

हस्ताक्षरित- 24.01.2012 (एस. रमेश), आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, औरंगाबाद

प्रति प्रेषित- अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, औरंगाबाद - सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, औरंगाबाद